न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 02/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/12

देवीलाल निरानिया पुत्र हनुमान निरानिया जाति कुम्हार साकिन 2 केएचएम तहसील रावला

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 19.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी ने अपील मय दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने दिनांक 04.05.2023 को एक प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत रजि. डाक से जिला कलक्टर कार्यालय को प्रेषित किया था। उक्त आवेदन पत्र कार्यालय के पत्रांक/आर.टी.आई./56/2023/317 दिनांक 10.05.2023 के द्वारा आवेदन उपखण्ड अधिकारी घड़साना को भिजवाते हुए अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवायी हैं। ना ही सूचना न देने का कोई कारण बताया हैं। अपीलांट को वांछित सूचनाओं की प्रति उपलब्ध करवाई जाकर रेस्पोडेंट के विरूद्ध सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के कारण कानूनी कार्यवाही करने के आदेश देने हेतु निवेदन किया।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना से टिप्पणी/जवाब तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, घडसाना के पत्रांक/पीए/2024/264 दिनांक 31.01.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक/पीए/2023/4019 दिनांक 26.05.2023 द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि उन्हें किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं। इस पर पुनः उपखण्ड अधिकारी घड़साना से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित करने संबंधित साक्ष्य अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। उपखण्ड अधिकारी, घडसाना के द्वारा पत्रांक/पीए/2024/368 दिनांक 12.02.2024 के द्वारा अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी को सूचना दिनांक 31.05.2023 को कार्यालय से साधारण डाक द्वारा प्रेषित की गई थी।

अपीलार्थी निवेदन किया कि उन्हें सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा उपखण्ड अधिकारी घडसाना द्वारा प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत पत्र(आवेदक को उपलब्ध करवाई गयी सूचना) सही नहीं हैं। आवेदक द्वारा जो सूचना चाही गयी हैं वह दिलाये जाने के लिए निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट हैं कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी हैं। अतः अपील स्वीकार योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को निर्देशित किया जाता हैं कि इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने के सात दिवस के भीतर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:46:40 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)